

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/सीआईआर/एमआईएससी/82/3/2023

Ref No: IRDAI/INT/CIR/MISC/82/3/2023

दिनांक / Date: 31.03.2023

**परिपत्र
CIRCULAR**

प्रति/ To,

सभी जीवन बीमाकर्ता/ साधारण बीमाकर्ता/ स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता;
All Life Insurers/General Insurers/Standalone Health Insurers;

विषय: मार्गदर्शी नोट - कमीशन संरचना के संबंध में बीमाकर्ता की बोर्ड नीति

Sub: Guidance note - Board policy of the insurer on the commission structure

1. यह परिपत्र बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) तथा आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023 के विनियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

This circular is issued in exercise of the powers conferred under Section 34 of the Insurance Act, 1938 and Section 14(2)(e) of the IRDAI Act, 1999 and Regulation 8 of the IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023,

2. चूँकि “बीमा एजेंट, मध्यवर्ती अथवा बीमा मध्यवर्ती” (इस परिपत्र में इसके बाद मध्यवर्तियों के रूप में उल्लिखित) बीमा उत्पादों के वितरण में एक निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, अतः बीमाकर्ताओं के लिए यह अत्यावश्यक है कि बीमा वितरण प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता, कमीशन संरचना के संबंध में एक स्पष्ट और पारदर्शी बोर्ड नीति विद्यमान हो।

As the “Insurance Agents, Intermediaries or Insurance Intermediaries” (herein after referred to as intermediaries) play a crucial role in the distribution of insurance products, it is essential for the insurers to have a clear and transparent board policy on their commission structure to ensure fairness, transparency, compliance, efficiency, and industry reputation in the insurance distribution process.

3. मध्यवर्तियों के लिए कमीशन संरचनाओं के संबंध में बोर्ड नीति के अंतर्गत कम से कम निम्नलिखित मुख्य तत्व शामिल किये जाएँगे:

The board policy on commission structures for intermediaries shall, at the minimum, include the following key elements:

(i) **उद्देश्य और सिद्धांत:** बोर्ड नीति में वे उद्देश्य और सिद्धांत स्पष्ट रूप से बताये जाएँगे जो कमीशन संरचना को सहारा देते हैं। इनमें शामिल होंगे, मध्यवर्तियों के बीच उचित और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ग्राहकों की आवश्यकताओं के साथ प्रोत्साहनों को सुरोजित करना, तथा कुशलतापूर्ण और किफायती वितरण को प्रोत्साहित करना।

Objectives and Principles: The board policy shall clearly state the objectives and principles that underpin the commission structure. This shall include promoting fair and transparent competition among intermediaries, aligning incentives with customer needs, and encouraging efficient and cost-effective distribution.

(ii) निष्पक्षता और औचित्य: कमीशन संरचना औचित्यपूर्ण होगी तथा इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों अथवा बीमाकर्ता के व्यय से मध्यवर्तियों के लिए अत्यधिक क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि उनकी कमीशन संरचना उस प्रकार के व्यवसाय को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के लिए अपेक्षित प्रयासों के अनुरूप होगी। इसका अर्थ यह है कि मध्यवर्तियों को उनके आकार अथवा सौदेबाजी की शक्ति का विचार किये बिना उनके कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी।

Fairness and Reasonableness: The commission structure shall be reasonable and not result in excessive compensation for intermediaries at the expense of customers or the insurer. Insurers shall ensure their commission structure is commensurate with the efforts required to acquire and sustain that type of business. This means intermediaries shall be compensated fairly for their work, regardless of their size or bargaining power.

(iii) उत्तम वितरण पद्धति: कमीशन संरचना के संबंध में बोर्ड नीति मध्यवर्तियों के उत्तम वितरण पद्धतियों को प्रोत्साहित करेगी। इससे ग्राहक संतोष में वृद्धि करने, ग्राहकों के साथ अधिक सुदृढ़ संबंध निर्मित करने, बीमाकर्ता के बाजार अंश को बढ़ाने तथा विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

Good distribution practice: The Board policy on commission structure shall encourage good distribution practices of intermediaries. This can help enhance customer satisfaction, build a stronger relationship with the customers, increase the insurer's market share and ensure compliance with regulatory requirements.

(iv) नियमित समीक्षा: बोर्ड नीति कमीशन संरचना के लिए एक मानक समीक्षा प्रक्रिया स्थापित करेगी, जिसमें उसकी प्रभावात्मकता के आकलन, कार्यकुशलता, प्रीमियम दरों पर प्रभाव, लाभ के भुगतान, व्यापन, ग्राहकों की आवश्यकताओं और हितों के साथ सुयोजन आदि शामिल हैं। यह समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति के द्वारा कम से कम वार्षिक आधार पर संचालित की जाएगी।

Regular review: The board policy shall establish a standard review process for the commission structure, which includes assessments of its effectiveness, efficiency, impact on premium rates, benefit pay-outs, penetration, alignment with customer needs and interests etc. The review shall be conducted by the audit committee at least on an annual basis.

(v) बाजार व्यवहार: यह सुनिश्चित करने के लिए कि मध्यवर्ती उन्नत मानकों का व्यवहार और नैतिक प्रथाओं का पालन करें, बोर्ड नीति बाजार व्यवहार के लिए अभिशासन और पर्यवेक्षण व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। बोर्ड नीति कमीशन संरचना के कारण संभावित हित-संघर्षों की पहचान करेगी और उनका समाधान करेगी, जैसे मध्यवर्तियों द्वारा उच्चतर कमीशन अर्जित करने के लिए ऐसे उत्पादों की सिफारिश करना जो ग्राहक के सर्वोत्तम हित में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड कुछ खंडों में समग्र राशियों में उपयुक्त उच्चतम सीमाएँ भी रख सकता है, उदाहरण के लिए सामूहिक उत्पादों में।

Market Conduct: The board policy shall outline the governance and oversight mechanism for market conduct to ensure that intermediaries adhere to high standards of behaviour and ethical practices. The board policy shall recognise and address potential conflicts of interest due to the commission structure, such as intermediaries recommending products not in the customer's best interest to earn higher commissions. Furthermore, the board may also put appropriate caps in absolute amounts in certain segments, for example group products.

(vi) **निगरानी और रिपोर्टिंग:** बोर्ड नीति कमीशन संरचना के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ स्थापित करेगी, जिसमें कमीशन संरचना के निष्पादन और अनुपालन पर निदेशक बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग को नियमित रिपोर्टिंग शामिल है।


Monitoring and Reporting: The board policy shall establish reporting requirements for the commission structure, which includes regular reporting to the board of directors and senior management on the performance and compliance of the commission structure.

(vii) **प्रयोज्यता:** कोई भी नई कमीशन संरचना पहले से बेची गई पालिसियों पर लागू नहीं होगी।

Applicability: Any new commission structure shall not apply to already sold policies.

समग्र रूप में, मध्यवर्तीयों की कमीशन संरचना निष्पक्ष और पारदर्शी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित की जाएगी जो पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करेगी और बीमा व्यापन को प्रोत्साहित करेगी।

Overall, the commission structure of intermediaries shall be designed to promote fair and transparent practices that protect policyholders' interests and encourage insurance penetration.



(एस एन राजेस्वरी / S N Rajeswari)
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)